अभिलेख उपस्थापित।

श्री चन्देश्वर राम पिता जानकी राम, ग्राम–मसरातु, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग से प्राप्त आवेदन–पत्र एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उक्त अनुसार आवेदक के नाम से प्रश्नगत् भूमि अंचल–कटकमदाग, ग्राम–रेवाली, थाना संख्या–124, खाता संख्या–132, प्लॉट संख्या–1051 एवं 1052, रकबा–0.12 एकड़ एवं 0.03 एकड़ कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि का कोई जमाबंदी कायम नहीं है। आवेदन अनुसार उक्त भूमि का माँग उनके दादा रूपु वगै0 के नाम से चल रहा है, किन्तु उनके द्वारा पारिवारिक संपत्ति के बँटवारा विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि किस हिस्सेदार को कितनी भूमि का हक प्राप्त है एवं पूर्व में उनके द्वारा कितनी भूमि का निबंधन किया गया है। प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर अन्य हिस्सेदारों का सहमति पत्र भी प्राप्त नहीं है। साथ ही समर्पित वंशावली किसी सरकारी कर्मी / पदाधिकारी से सत्यापित नहीं है।

विभागीय पत्रांक 2300 दिनांक 25.06.2019 द्वारा पैतृक / पारिवारिक सम्पति के बँटवारा विलेख के निबंधन पर क्रमशः निबंधन शुल्क 50/- रूपये एवं मुद्रांक शुल्क 50/- रूपये निर्धारित एवं अत्यंत कम करते हुए राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं खतियान रैयत के उत्तराधिकारियों को विधिवत् स्वामित्व प्रदान करने पर जोर दिया गया है।

अतः उक्त आलोक में आदेश पारित किया जाता है कि आवेदक निबंधित बँटवारानामा / उत्तराधिकारी नामान्तरण के साथ आवेदन–पत्र दाखिल करेंगे। तद्नुसार अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by RANJEET KUMAR LAL
Date: 2021.07.30 17:27:05 +05:30
Location: 192.168.0.102

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।